[2019] 15 एस. सी. आर 443

हरि निवास गुप्ता

बनाम्

बिहार और अन्य राज्य

(दीवानी याचिका संख्या 3105/2017)

नवंबर 08,2019

[इंदु मल्होत्रा न्यायाधीश और संजीव खन्ना न्यायाधीश]

भारत का संविधान-दूसरे परंतुक का खंड (ख) अनुच्छेद 311 (2)-स्थानीय दैनिक में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि नेपाल पुलिस ने बिहार राज्य से संबंधित तीन न्यायिक अधिकारी याचिकाकर्त्ताओं नेपाल के बिराटनगर में एक अतिथि गृह में तीन नेपाली महिलाओं के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में पाया-उनकी बर्खास्तगी के लिए पूर्ण न्यायालय का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दूसरे परंतुक के खंड (ख) को अनुच्छेद 311 (2) का आह्वान करके अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया-जांच के साथ वितरण करने के कारणों को दर्ज करने में विफलता के लिए बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करते हुए, खंड पीठ ने उच्च न्यायालय को उपरोक्त प्रावधान के तहत उचित स्तर पर शक्ति का आह्वान करने की स्वतंत्रता दी, जिसमें कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता थी-दी गई स्वतंत्रता को चुनौती-अभिनिर्धारित अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी से संबंधित है-तुलसीराम पटेल और जसवंत सिंह मामले में दूसरे परंतुक के खंड (ख) के संदर्भ में कानून अनुच्छेद 311 (2) में आदेश दिया गया है कि बर्खास्तगी के आदेश से पहले जांच के कारणों को लिखित रूप में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए-खंडपीठ द्वारा 'उचित स्तर

पर' अभिव्यक्ति नियमित विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश नहीं है और न ही यह कानून के अनुसार अनुच्छेद 311 (2) के द्वारा दूसरे परंतुक को खंड (ख) का सहारा लेने पर प्रतिबंध लगाती है-खंडपीठ उच्च न्यायालय को नए सिरे से लागू करने से रोकने में सक्षम नहीं है- खंडपीठ के निर्णयानुसार, याचिकाकर्त्ताओं को कानून के अनुसार कार्यवाही करना है। अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर व्यक्त कोई राय-बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005-संदर्भित नियम.14, 20-सेवा कानून केतहत नहीं व्यक्त की गई।

भारत का संविधान-अनुच्छेदों 233-236; अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक का खंड (ख)-अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय का 'नियंत्रण'-पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव द्वारा अपीलकर्ताओं के न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करना, अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) को लागू करके अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करना-नृपेन्द्र नाथ बागची पर भरोसा करने वाले अपीलार्थियों की याचिका कि यह शक्ति केवल राज्यपाल के पास निहित है-अभिनिर्धारित उक्त विवाद नृपेंद्र नाथ बागची में अनुपात को गलत तरीके से पढ़ता है, जो इसके विपरीत अभिनिर्धारण करता है-निर्णय के टिप्पणियों में यह अभिनिर्धारण नहीं कहा जाता है कि राज्यपाल, न कि उच्च न्यायालय, अधिकार क्षेत्र में निहित है और यह तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है कि जांच को दूसरे परंतुक के खंड (ख) के संदर्भ में संतुष्टि दर्ज करने पर समाप्त किया जाना चाहिए अनुच्छेद 311 (2)-यह अनुच्छेद 235 को संदर्भित करता है और कहता है कि नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास निहित है, हालांकि नियुक्ति, बर्खास्तगी या निष्कासन का आदेश पारित किया जाता है और राज्यपाल के नाम पर जारी किया जाता है जो औपचारिक आदेश पारित करता है, चाहे वह एक नियुक्ति, बर्खास्तगी या निष्कासन का मामला हो।

सेवा कानून-न्यायिक सेवा- न्यायिक अधिकारी याचिकाकर्त्ताओं को बर्खास्त करने के लिए पूर्ण न्यायालय का प्रस्ताव पारित किया गया- 12.02.14 को दिनांकित आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया। दूसरे परंतुक के खंड (ख) को लागू करके अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 311 (2) द्वारा एक

अधिकारी ने बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली थी, जबकि अन्य दो अधिकारी वर्तमान याचिकओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए-यह तर्क कि Art.311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत बर्खास्तगी का आदेश सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, अधिक से अधिक पेंशनभोगी और सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त और अस्वीकार किया जा सकता है-अभिनिर्धारितपूर्ण न्यायालय ने दूसरे परंतुक के खंड (ख) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विभागीय जांच करने वाले याचिकाकर्त्ताओं को फिर से बर्खास्त करने की सिफारिश की है जो अनुच्छेद 311 (2) के अनुशंसा द्वारा 13.08.2015 को दिनांकित है। हालाँकि, मामला राज्य सरकार के पास लंबित है-स्थगन आदेश दिनांक 11.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। एक चुनौती को पूर्वानुमेय नहीं बनाया जा सकता-यह चुनौती भी लिखित याचिकाओं का विषय नहीं थी और यह कार्रवाई का एक पूरी तरह से नया कारण होगा-इस प्रकार, याचिकाकर्त्ताओं ने आदेश को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है यदि, और जब भी पारित किया जाता है-उत्तरदाताओं के लिए इस विवाद की जांच करने के लिए खुला है-स्थगन आदेश खाली-भारत का संविधान-अनुच्छेद 311 (2)।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि

1.1 अनुच्छेद 311 (2) को दूसरे परंतुक के खंड (ख) को बर्खास्तगी, हटाने या संतुष्टि की (श्रेणी/पद) में कमी की सजा देने के लिए लागू किया जा सकता है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, कि सजा देने से पहले जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।निर्णय के निर्देश और अवलोकन एक नया और अपरंपरागत अधिकार या शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदान नहीं करती है जो कि वर्तमान मामले में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने का एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट परिणाम है। निर्देश के लिए उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में उच्च न्यायालय जिस कार्रवाई का पालन करना चाहता है, उस पर कोई बाधा नहीं डालेगा जिसका वह अनुसरण करेगा।

इसलिए, यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय एक विशिष्ट निर्देश के बजाय अधिक सावधानी के कारण, यदि वह इसे उचित और उपयुक्त समझता है, तो संविधान के उचित स्तर पर गठित अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के कारणों को दर्ज करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद [अनुच्छेद 8,10] [453-ए-बी; 454-सी-डी] के तहत शक्ति के उपयोग का हकदार था।

> जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1991) 1 एससीसी 362: [1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 354; भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी 398:[1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 131-पर निर्भर।

1.2 अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के तहत दिनांक 12 फरवरी, 2014 के पहले के आदेश को विभागीय जांच के साथ निपटाने के कारणों को दर्ज करने में विफलता के लिए निरस्त करना और रद्द करना, जो अस्तित्व में नहीं रहता है और मिटा दिया जाता है, लेकिन आरोपों के गुण-दोष पर निर्णय नहीं देता है ताकि न्यायिक रोक को आकर्षित किया जा सके। आरोपों की गंभीरता और लिखित याचिका को अनुमति देने के कारण को ध्यान में रखते हुए, खण्ड पीठ ने उच्च न्यायालय को नए सिरे से विवे का उपयोग और यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (ख) को लागू करने से रोकने के लिए उचित ठहराया। खंडपीठ द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'उचित स्तर पर' एक नहीं है। नियमित विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश और न ही यह कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) का सहारा लेने पर प्रतिबंध लगाता है।अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के तहत विभागीय जांच को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकारियों को इस निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए कि ऐसी जांच नहीं की जा सकती है और इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज करने चाहिए। इस मामले में, खंड पीठ ने प्रतिवादी-उच्च न्यायालय की इस दलील को अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में दर्ज किया था कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और सामग्री को आत्मसात, एकत्र और प्रस्तुत प्रस्तुत असंभव होगा क्योंकि कृत और

कुकृत्य दूसरे देश में थे।खंडपीठ ने पाया कि जांच के लिए कारण दर्ज नहीं किए गए थे, न तो उच्च न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार किया और न ही खारिज किया। किसी अनुच्छेद के एक या अधिक वाक्यों को अलग-अलग पढ़कर खंड पीठ के निर्णय की व्याख्या करना उचित और सही नही होगा। अनुपात और निष्कर्ष को समझने के लिए पूरे निर्णय को पढ़ना होगा और टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे किए गए हैं। [अनुच्छेद 11,15] [454-ई-जी; 458-बी-डी]

> रीना रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2012) 10 एस. सी. सी. 215; रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2014) 13 एस. सी. सी. 244:[2014] 7 एससीआर 544-पर निर्भर थामोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य (1978) 1 एससीसी 405:[1978] 2 एस. सी. आर. 272; पूर्वी तटीय रेलवे और एक अन्य बनाम महादेव अप्पा राव और अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 678:[2010] 7 एस. सी. सी. 908; मुख्य सुरक्षा अधिकारी और अन्य बनाम सिंगासन रबी दास (1991) 1 एस. सी. सी. 729; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम दीनबंधु बेहेता और अन्य (1997) 10 एस. सी. सी. 383; सुदेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2005) 11 एस. सी. सी. 525; तारसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2006) 13 एस. सी. सी. 581-संदर्भित।

2. विवाद नृपेंद्र नाथ बागची में अनुपात को गलत तरीके से पढ़ता है, जो इसके विपरीत है। अभिव्यक्ति/शब्द "उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के प्रयोग के भीतर, उच्च न्यायालय पूछताछ कर सकता है, बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य दंड लगा सकता है, हालांकि सेवा की शर्तें, यदि सेवा की शर्तों द्वारा दी जाती हैं तो अपील के अधिकार के लिए, और अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा आवश्यक कारण दिखाने का अवसर देने के लिए, जब तक कि (ख) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाता है उस खंड के लिए

"उच्च न्यायालय को यह तय करने के अधिकार से वंचित नहीं करना है कि अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) को लागू करने की शर्तें संतुष्ट हैं या नहीं, लेकिन यह स्वीकार करता है कि अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) [खंड (ग)] के संदर्भ में बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी या जांच करने के प्रस्ताव और सिफारिश के लिए राज्यपाल के आदेश की आवश्यकता होगी। टिप्पणियों में यह नहीं कहा जाता है कि राज्यपाल, न कि उच्च न्यायालय, के अधिकार क्षेत्र में निहित है और यह तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के संदर्भ में संतुष्टि दर्ज करने पर जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।निर्णय संविधान के अनुच्छेद 235 को संदर्भित करता है और कहता है कि नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। यद्यपि नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाने का आदेश पारित किया जाता है और राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, जो औपचारिक आदेश पारित करता है, चाहे वह नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाने का मामला हो। [अनुच्छेद 17,18] [458-जी-एच; 461-बी-एफ]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची एआईआर 1966 एससी 447:[1966] एससीआर 771-का पालन किया गया।

3. सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि पूर्ण न्यायालय ने बाद में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के तहत शक्ति के प्रयोग में विभागीय जांच के बगैर न्यायिक अधिकारियों को दिनांक- 13 अगस्त 2015 के द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। हालाँकि, मामला राज्य सरकार के पास लंबित है और इस न्यायालय द्वारा 11 सितंबर 2015 को पारित स्थगन आदेश को देखते हुए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।यह बताया गया कि अन्य दो अधिकारी भी वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे। इसलिए, सबसे अच्छा पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त और अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के तहत शक्तियों का आह्वान करके सेवा से बर्खास्तगी का आदेश न्यायिक अधिकारी याचिकर्त्ताओं के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता है। न्यायिक अधिकारी याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस तर्क पर

जोर नहीं दिया क्योंकि मामला राज्य के अधिकारियों के समक्ष लंबित है और अंतिम आदेश अभी भी पारित किया जाना बाकी है। अनुमान के आधार पर से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, यह चुनौती उन लिखित याचिकाओं का विषय भी नहीं थी जिसमें विवादित आदेश पारित किया गया था और यह पूरी तरह से कार्रवाई का एक नया कारण होगा। न्यायिक अधिकारी याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आदेश को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है, यदि और जब भी इसे पारित किया जाता है। उक्त विवाद के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया गया है और इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया गया है। यह उत्तरदाताओं, यानी बिहार राज्य और उच्च न्यायालय के लिए इस तर्क की जांच करने के लिए समान रूप से खुला है। स्थगन आदेश को खाली रखा गया है, हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में प्रतिवादियों को कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तीन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। [अनुच्छेदों 19-20] [463-B-G]

अजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य (2011) 11 एस. सी. सी. 458:[2011] 3 एस. सी. आर. 830-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[1990] 3 पूरक।एससीआर 354	अनुच्छेद 8	पर निर्भर
[1985] 2 पूरक।एससीआर 131	अनुच्छेद 8	पर निर्भर
[1978] 2 एससीआर 272	अनुच्छेद 12	से संदर्भित
[2010] 7 एससीआर 908	अनुच्छेद 12	से संदर्भित
(1991) 1 एस सी सी 729	अनुच्छेद 13	से संदर्भित
(1997) 10 एस सी सी 383	अनुच्छेद 13	से संदर्भित
(2005) 11 एस सी सी 525	अनुच्छेद 13	से संदर्भित

(2006) 13 एस सी सी 581	अनुच्छेद 13	से संदर्भित
(2012) 10 एस सी सी 251	अनुच्छेद 13	पर निर्भर
[2014] 7 एससीआर 544	अनुच्छेद 13	पर निर्भर
[1966] एससीआर 771	अनुच्छेद 16	लागू
[2011] 3 एससीआर 830	अनुच्छेद 18	पर निर्भर

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकारः-दीवानी याचिका सं.- 3105/2017 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.05.2015 के निर्णय और आदेश सं. सी.डब्ल्यू.जे.सी. 8636/2014 से दीवानी याचिका संख्या 3106-3107/2017

एस. आर. सिंह, निदाश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्तओं, सुश्री सुनीता पंडित, शिवम शर्मा, कृष्ण कुमार यादव, अंकुर यादव, सुश्री जपनीत कौर,सुश्री आशा गोपालन नायर, रवि प्रकाश, आदित्य दीवान, चंद्र प्रकाश, सुश्री सरोज बाला, अधिवक्ताओं अपीलार्थी के लिए।

प्रवीण एच. पारेख, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवाशीष भारुका, रवि भारुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शिनी, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, अधिवक्ताओं उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया ।

निर्णय

यह सामान्य निर्णय तीन न्यायिक अधिकारियों हरि निवास गुप्ता, कोमल राम और जितेंद्र नाथ सिंह द्वारा दायर की गई उपरोक्त शीर्षक अपीलों का निपटारा करेगा, जो क्रमशः परिवार न्यायालय, समस्तीपुर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया और तदर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, अररिया के रूप में काम कर रहे थे।

2. दिनांक 29 जनवरी, 2013 को एक स्थानीय दैनिक (उदघोष) में यह समाचार प्रकाशित किया गया था कि 26 जनवरी, 2013 को नेपाल पुलिस ने बिहार राज्य के तीन न्यायिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया था क्योंकि वे कथित रूप से तीन नेपाली महिलाओं के साथ बिराटनगर, नेपाल के एक गेस्ट हाउस में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। इसके बाद न्यायिक अधिकारियों को नेपाल के जिला पुलिस थाने लाया गया, लेकिन विभिन्न सर्किलों के दबाव के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। घटना के बारे में पता चलने पर पटना उच्च क्षेत्राधिकार (संक्षेप में उच्च क्षेत्राधिकार) ने इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूर्णिया के जिला और सत्र न्यायाधीश को दिनांक 18 फरवरी, 2013 के पत्र को संबोधित किया था। जिला और सत्र न्यायाधीश ने 24 फरवरी, 2013 की अपनी रिपोर्ट में सूचित किया था कि जांच के दौरान तीनों न्यायिक अधिकारियों ने नेपाल के लिए भारत छोड़ने से इनकार किया था। कोमल राम ने दावा किया था कि वह पूर्णिया में हैं और तबादले पर अपना आवास खाली करने की प्रक्रिया में हैं। रिपोर्ट में 22 फरवरी, 2013 को इसी दैनिक द्वारा प्रकाशित एक अन्य समाचार का हवाला दिया गया था, जिसमें गलत रिपोर्टिंग पर खेद व्यक्त किया गया था और कहा गया था कि पुलिस अधीक्षक, अररिया ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ पक्षपात किया था। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर जानकारी, विवरण और अभिलेख एकत्र करने और सुनिश्चित करने को कहा था। 20 तारीख के पत्र द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उप सचिव ने 23 जून, 2013 को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि न्यायिक अधिकारियों के मोबाइल फोन 26 और 27 जनवरी, 2013 को एक लंबे समय तक एक साथ स्विच ऑफ थे और जब उस अवधि के दौरान फोन सक्रिय थे, तो वे फारबेसगंज शहर में टॉवर की सीमा के भीतर थे, जिससे संकेत मिलता है कि न्यायिक अधिकारी नेपाल के निकट थे, न कि उनकी तैनाती के स्थान पर।कोमल राम ने 26 से 27 जनवरी, 2013 के बीच पूर्णिया के एक होटल में ठहरने के अपने दावे का समर्थन करने के लिए जो होटल बिल प्रस्तुत किया और उस पर भरोसा किया, उसे हस्तलेख और बिल पर कोमल राम के हस्ताक्षर के आधार पर मनगढ़ंत

माना गया था। इसके अलावा, होटल उस स्तर का नहीं था जहां कोमल राम के रैंक का कोई न्यायिक अधिकारी रह सकता था।

3. उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने 5 फरवरी, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में यह संकल्प किया था कि न्यायिक अधिकारियों को निलम्बित किया जाना चाहिए और उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के खंड बी के दूसरे परंतुक सहपठित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के नियम 14 और 20 के तहत बर्खास्त किया जाना चाहिए। 10 फरवरी, 2014 को अभिनिर्धारित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पूर्ण न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) को लागू करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए बिहार राज्य सरकार में न्यायिक सेवा से न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए स्थायी समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया और पूर्ण न्यायालय का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण न्यायालय की सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2014 को जारी सामान्य आदेश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

4. न्यायिक अधिकारियों ने अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करके बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी, जिन्हें उच्च न्यायालय की खंडपीठ ('डिवीजन बेंच') द्वारा 19 मई, 2015 को दिए गए निर्णय में मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि पूर्ण न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी की सिफारिश करते समय अनुशासनात्मक जांच से बचने के कारणों को दर्ज नहीं करके संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) का उल्लंघन किया था। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा इस नोट पर भरोसा किया गया क्योंकि कथित रूप से जांच के लिए कारणों को दर्ज किया गया था, यह पाया गया कि इसमें कोई तारीख या हस्ताक्षर नहीं थे और प्रामाणिकता की कमी थी.इस प्रकार, उच्च न्यायालय यह दिखाने के लिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए कोई कारण दर्ज किया गया था, किसी भी सामग्री को अभिलेख पर रखने में सक्षम नहीं था।

5. न्यायिक अधिकारियों के मामले में जाँच के समापन के लिए कारणों को दर्ज करने में असफल रहने के कारण 12 फरवरी, 2014 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए खंडपीठ ने उच्च न्यायालय को निम्नलिखित स्वतंत्रता और विवेकाधिकार दिया थाः

> "तदनुसार, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और 12.02.2014 के सामान्य आदेश को रद्द किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उपखंड बी के द्वितीय परंतुक को लागू करना चाहता है, तो उचित स्तर पर करणों को दर्ज करना और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा ।
>
> यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान दो (एक) अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है।हम निर्देश देते हैं कि इन रिट याचिकाओं में निर्णय के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता, जो पहले से ही सेवा में है, निलंबित समझा जाएगा, और अन्य दो को विभागीय कार्यवाही जारी रखने में सक्षम बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए सेवा में जारी माना जाएगा.उच्च न्यायालय आज से दो महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में निर्णय लेगा। यदि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और याचिकाकर्ता सभी पारिणामिक लाभों के लिए हकदार होंगे, मानो कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया हो। दूसरी ओर, यदि कार्यवाही शुरू की जाती है, तो याचिकाकर्ता उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। जहां एक व्यक्ति जो सेवा में है उसे निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, वहीं अन्य दो को 25 प्रतिशत की सीमा तक तत्काल अनंतिम पेंशन दी जाएगी।

यदि कोई इंटरलोक्यूटरी आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा। अर्थ-दण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।"

6. न्यायिक अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक के खण्ड(बी) के तहत उचित स्तर पर कारण अभिलिखित करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के साथ और शक्ति का अवलंब लेने के लिए उच्च न्यायालय को दी गई स्वतंत्रता को उध्दत भाग इस आधार पर चूनौती दी है कि उच्च न्यायालय को 12 फरवरी, 2014 को बर्खास्तगी के पहले आदेश के बाद कारण अभिलिखित करने की अनुमति दी गई है, जो कानून और संविधान के विरूध्द है ।

7. प्रत्यर्थियों ने, अर्थात् बिहार राज्य और उच्च न्यायालय ने कोई अपील नहीं की है और विनिश्चय को स्वीकार कर लिया है।

8. संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) इस प्रकार हैंः

311. संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत करना, हटाना या रैंक में कमी करना - (1) कोई व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसे उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था।

(2) पूर्वोक्त रूप में किसी भी व्यक्ति को उस जांच के बाद ही बर्खास्त किया जाएगा या हटाया जाएगा या रैंक में कम किया जाएगा जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हैः

परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगाः

परंतु यह खंड लागू नहीं होगा -

(क) जहां किसी व्यक्ति को आचरण के आधार पर बर्खास्त किया जाता है या हटाया जाता है या रैंक में अवनत किया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि हुई है या

खंड (1) में कहा गया है कि संघ या राज्यों के तहत सिविल सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों या अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ द्वारा बर्खास्त, हटाया या नहीं जाएगा जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। खंड (2) में यह प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को केवल उस जांच के बाद ही बर्खास्त या हटाया जा सकता है या रैंक में कम किया जा सकता है जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उसे उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया है। दूसरे परन्तुक में उन अपवादों को शामिल किया गया है जब खंड (2) के अधीन जांच करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (ख) का अवलंब इस समाधान के आधार पर लिया जा सकता है कि दंड अधिरोपित करने से पूर्व जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है। जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम् तुलसीराम पटेल में पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए सकारात्मक रूप से अभिधारित किया है कि अधीन अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के अधीन आदेश पारित करते समय कारण अभिलिखित करने की सक्षम प्राधिकारी की बाध्यता आज्ञापक है और अन्य बातों के साथ-साथ यह मत व्यक्त किया गया थाः

"5..... प्रत्यर्थियों के लिए यह आवश्यक था कि वे आक्षेपित आदेश में प्रत्यर्थी 3 द्वारा दर्ज व्यक्तिपरक संतुष्टि के समर्थन में आक्षेपित आदेश के पारित होने की तारीख को विद्यमान सामग्री का न्यायालय में खुलासा करें। अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (ख) का अवलंब केवल तभी लिया जा सकता है जब प्राधिकारी उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री से संतुष्ट हो जाए कि विभागीय जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है। यह तुलसीराम मामले के पृष्ठ 270 पर निम्नलिखित अवलोकन से स्पष्ट हैः(एससीसी पृ. 504, पैरा 130)

> “अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह हल्के या मनमाने ढंग से या केवल जांच से बचने के लिए या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभाग का मामला कमजोर होने के कारण अनुशासनात्मक जांच नहीं कराएगा।"

9. वर्तमान मामले में, खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से एक तथ्य के रूप में पाया है कि उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने के अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले जांच करने के लिए लिखित में संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहा था। इस कारण से बिहार के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) के तहत 12 फरवरी, 2014 को पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द और अपास्त कर दिया गया। यह खंड न्यायपीठ द्वारा अंतिम निदेशों के उद्धृत भाग में पाया गया है, जो इस तथ्य को निर्दिष्ट करता है कि “दो (एक) न्यायिक अधिकारियों ने रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली थी और इसलिए, वे अनुशासनिक कार्यवाहियों को जारी रखने में सक्षम बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए सेवा में जारी समझे जाएंगे। अन्य अधिकारी निलंबित समझे जाएंगे। उच्च न्यायालय से दो महीने के भीतर निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी और यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और न्यायिक अधिकारी सभी

पारिणामिक लाभों के हकदार होंगे जैसे कि कार्यवाहियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई हों। यह निर्देश दिया गया था कि न्यायिक अधिकारी जो सेवा में बने रहेंगे, उन्हें निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को 25 प्रतिशत की सीमा तक तत्काल अनंतिम पेंशन दी जाएगी।

10. उपरोक्त उद्धृत निर्णय के निर्देश और संप्रेक्षण उच्च न्यायालय को कोई नया और गैर-पारंपरिक अधिकार या शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान मामले में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने का जाहिर और स्पष्ट परिणाम क्या है। इस निर्देश के अनुसार उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता है और एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय ने कार्रवाई के क्रम में कोई बाधा नहीं डाली है। इसलिए, विशेष निर्देश के बदले प्रचुर सतर्कता के रूप में देखा जाता है कि यदि उच्च न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, तो कारण अभिलिखित करने और विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् समुचित प्रक्रम पर संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए। उच्च न्यायालय हकदार था ।

11. अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) के तहत 12 फरवरी, 2014 के पहले आदेश को रद्द करते हुए और उसे रद्द करते हुए विभागीय जांच को समाप्त करने के कारणों को दर्ज करने में विफल रहने पर पहले के आदेश को रद्द कर दिया गया है, जो अस्तित्व में नहीं है और मिटा दिया गया है, लेकिन आरोपों के गुण-दोष के आधार पर न्यायनिर्णयन नहीं करता है ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सके। आरोपों की गंभीरता और रिट याचिका को अनुमति देने के कारण को ध्यान में रखते हुए, खण्ड पीठ ने उच्च न्यायालय को नए सिरे से दिमाग लगाने और यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (बी) को लागू करने से रोकने के लिए उचित ठहराया। खंड न्यायपीठ द्वारा इस्तेमाल किया गया अभिव्यक्ति 'उपयुक्त चरण' नियमित विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश नहीं है और न ही यह कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) का

सहारा लेने का निषेध करता है। हम खंडपीठ द्वारा उच्च न्यायालय पर इस तरह की बेड़ियों और प्रतिबंधों को नहीं देखते हैं।

12. न्यायिक अधिकारियों ने मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य और ईस्ट कोस्ट रेलवे और एक अन्य बनाम महादेव अप्पा राव और अन्य में दावा किया कि इस न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (बी) के तहत कारण बाद में आदेश का समर्थन करने के लिए दर्ज किए जा सकते हैं। यह प्रस्तुतीकरण अपीलार्थियों के मामले को मजबूत नहीं करता है क्योंकि इन निर्णयों में इस न्यायालय ने जांच के निपटारे के लिए कारण प्रदान करने वाले हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि ये बर्खास्तगी आदेश के बाद थे। ये कारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए थे और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत शक्ति के प्रयोग के समय दर्ज नहीं किए गए थे। तुलसीराम पटेल (ऊपर) और जसवंत सिंह (ऊपर) की उक्ति के अनुसार, अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड(बी) शर्तों ने कानून अनिवार्य रूप से कहता है कि जाँच के निपटारे के लिए कारण बर्खास्तगी के आदेश के पहले अवश्य लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए।

13. इसी प्रकार मुख्य सुरक्षा अधिकारी और अन्य बनाम सिंगासन रबी दास, उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम् दीनबंधु बेहटा और अन्य, सुदेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, रीना रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, और रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, के संदर्भ न्यायिक अधिकारियों द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे ।इन फैसलों में, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (बी) के तहत आदेशों को विभागीय जांच के लिए दर्ज कारणों के अभाव में रद्द कर दिया गया था। रद्द करने के बावजूद, इस न्यायालय ने कई मामलों में स्पष्ट रूप से अधिकारियों को आगे बढ़ने और कानून के अनुसार कार्रवाई

करने की अनुमति दी थी। उदाहरण के लिए, रीना रानी (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया था,

> "12. परिणाम के रूप में, अपील की अनुमति दी जाती है। आक्षेपित निर्णय और विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है और अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को इस निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है कि उसे सेवा में बहाल किया जाए और सभी पारिणामिक लाभ दिए जाएं। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। साथ ही, हम यह देखना आवश्यक समझते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता को अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए एक जनादेश के रूप में नहीं माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी पूरे रिकॉर्ड पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद उचित निर्णय लेगा।

इसी प्रकार, रिसाल सिंह (उपर्युक्त) में निम्नलिखित रूप में यह मत व्यक्त किया गया थाः

> "10. नतीजतन, हम अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं।अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा में माना जाएगा। चूंकि इस बीच वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह सभी पारिणामिक लाभों का हकदार होगा। बकाया की गणना की जाएगी और तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को भुगतान किया जाएगा।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कानून में सलाह दी जाती है तो प्रत्यर्थियों को कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से रोका नहीं जाता है। चूंकि

मुकदमा न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए न्यायालय में बिताई गई अवधि को नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा। हालांकि, हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि इसमें हमारी टिप्पणियों को अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए प्राधिकारियों के जनादेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हम यह भी कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करेगी और उससे अपेक्षित वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य करेगी। अर्थ-दण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।"

14. न्यायिक अधिकारियों द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क तीसरे मुद्दे या बिन्दु पर विचार करते समय खंड न्यायपीठ के पूर्व अवलोकन के प्रति निर्देश से संबंधित है:

"इस मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक जांच की और कुछ सामग्रियों को कब्जे में लिया, चाहे वह पेपर क्लिपिंग के रूप में हो, पूर्णिया के जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट या भारत सरकार के गृह मंत्रालय से पत्र हो। जब उच्च न्यायालय के लिए इस तरह की जांच करना संभव था, तो आरोप तय करना और फिर विभागीय जांच को आगे बढ़ाने का प्रयास करना भी उतना ही संभव था। जब विभागीय जांच करना या तो शुरूआत में या आधे रास्ते में एक कठिन कार्य साबित हो रहा था, तभी विशिष्ट कारणों को दर्ज करके जांच को समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता था।तरसेम सिंह (उपर्युक्त) और तुलसी राम पटेल (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस पर प्रकाश डालते हैं। इसमें दिए गए सिद्धांतों को लागू करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि आक्षेपित कार्यवाही में पेटेंट उल्लंघन हुआ है। इसलिए, हम इस बिंदु को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भी मानते हैं।"

विद्वत अधिवक्ता उस भाग का उल्लेख करते हुए, प्रस्तुत करते है कि खंडपीठ ने निर्णय दिया है कि विभागीय जांच संभव थी और इससे मुक्त नहीं किया जा सकता था।

15. हमारी राय में टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है क्योंकि ऊपर उद्धृत भाग कानूनी स्थिति को निर्दिष्ट करता है कि आमतौर पर विभागीय जांच की जानी चाहिए। यह उस परिदृश्य को भी संदर्भित करता है जहां विभागीय जांच नहीं की जा सकती है अर्थात जब विभागीय जांच करना एक कठिन कार्य साबित हो रहा था, तो इस मामले में विशिष्ट कारणों को दर्ज करके जांच को समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता था।यह देखा गया है कि तुलसीराम पटेल (ऊपर) और तरसेम सिंह (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में तुलसीराम पटेल (उपर्युक्त) की निम्नलिखित टिप्पणियों के प्रति निर्देश करना उपयुक्त होगाः

> "130. (ख) को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान है कि अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा अनुध्यात जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपयोग किए गए शब्द यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं हैं और अव्यावहारिक नहीं हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार – इसका अर्थ है "व्यवहार में लाने, कार्य में करने, प्रभावी करने, पूर्ण करने या करने में सक्षम।" वेबस्टर का तीसरा नया अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश निम्नलिखित को परिभाषित करता है - "व्यवहार्य" शब्द का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ" "अभ्यास या प्रदर्शन करना संभव" है व्यवहार में लाने, करने या पूरा करने में सक्षम:संभव है। इसके अलावा, शब्द 'व्यावहारिक नहीं है' लेकिन 'उचित रूप से व्यवहारिक नहीं है' इस्तेमाल किए जाते हैं। वेबस्टर का तीसरा नया अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश “यथोचित रूप से” शब्द को तर्कसंगत तरीके से काफी हद तक परिभाषित करता है। इस प्रकार, जांच करना व्यावहारिक था या नहीं, इसका

> निर्णय इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित रूप से व्यावहारिक था।यह पूर्ण या पूर्ण अव्यवहार्यता नहीं है जो खंड (ख) द्वारा अपेक्षित है।आवश्यक बात यह है कि मौजूदा स्थिति के बारे में उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए एक तर्कसंगत व्यक्ति की राय में जांच करना व्यावहारिक नहीं है।"

इस प्रकार, किसी विभागीय जांच को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (ख) के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए प्राधिकारियों को यह निष्कर्ष अभिलिखित करना चाहिए कि ऐसी जांच नहीं की जा सकती है और इसके लिए विनिर्दिष्ट कारण अभिलिखित करना चाहिए।इस मामले में खंडपीठ ने प्रतिवादी उच्च न्यायालय के इस तर्क को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में दर्ज किया था कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और सामग्री को आत्मसात प्रस्तुत, एकत्र प्रस्तुत और पेश प्रस्तुत असंभव होगा क्योंकि कार्य और कुकर्म दूसरे देश में थे। खंडपीठ ने पाया कि जांच के लिए कारण दर्ज नहीं किए गए थे, इसलिए उसने न तो उच्च न्यायालय की इस दलील को स्वीकार किया है और न ही खारिज किया है। खंडपीठ के निर्णय को अलग-थलग करके एक या एक से अधिक वाक्यों को पढ़ना उचित और सही नहीं होगा।अनुपात और निष्कर्ष को समझने के लिए पूरे निर्णय को पढ़ा जाना चाहिए और टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे की गई हैं।

16. कोमल राम और जितेंद्र नाथ सिंह की ओर से पेश हुए विद्वत वकील ने संविधान के अनुच्छेद 311 के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) के तहत जांच को समाप्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित एक और विवाद उठाया था।तर्क यह है कि यह शक्ति केवल राज्यपाल में निहित है जिसे स्वयं को संतुष्ट करना है और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना है कि जांच करना तर्कसंगत रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं है। इस न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची, में संविधान पीठ के निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था-

> "उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय सेवा की शर्तों के अधीन रहते हुए पदच्युति या हटाए जाने से भिन्न जांच कर सकता है, दंड अधिरोपित कर सकता है और अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा यथापेक्षित कारण बताने का अवसर प्रदान कर सकता है जब तक कि ऐसा अवसर राज्यपाल द्वारा उस खंड के परन्तुक (ख) और (ग) के अधीन कार्य करते हुए प्रदान न किया जाए।"

17. इस विवाद में नृपेंद्र नाथ बागची (ऊपर) के अनुपात को गलत समझा गया है, जो इसके विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 का निर्वचन करते हुए और अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के 'नियंत्रण' के पहलू पर, नृपेंद्र नाथ बागची (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित आयोजित किया गयाः

> "13. [...] इन अनुच्छेदों के अधिनियमन के पीछे निहित इतिहास इंगित करता है कि 'नियंत्रण' उद्देश्य को प्रभाव में लाने के लिए उच्च न्यायालय में निहित था, जैसे अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जब तक इसमें अनुशासनिक नियंत्रण शामिल नहीं होगा तब तक उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। निर्माण के लिए यह सहायता स्वीकार्य है क्योंकि किसी कानून के अर्थ का पता लगाने के लिए कानूनी रूप से कानून की पूर्व स्थिति, उस बुराई को दूर करने की कोशिश और उस प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ सकता है जिसके द्वारा कानून विकसित किया गया था। जैसा कि हमने देखा कि संविधान में पहली बार नियंत्रण शब्द का उपयोग किया गया था और इसके साथ एक मजबूत शब्द 'निहित' है। यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय को न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बनाया गया है। अतः नियंत्रण केवल न्यायालय के दैनिक कामकाज की व्यवस्था करने की शक्ति नहीं है बल्कि

पीठासीन न्यायाधीश पर अनुशासनिक अधिकारिता की अवधारणा करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को इन न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार देता है और उच्च न्यायालय को रिटर्न आदि मांगने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 235 में निश्चित रूप से अलग प्रावधान है । इसमें सिर्फ अधीक्षण के अलावा कुछ और भी शामिल है। यह न्यायाधीशों के आचरण और अनुशासन पर नियंत्रण रखता है। इसी दिशा में स्पष्ट रूप से इंगित करने वाले दो अन्य संकेतों से इस निष्कर्ष को और बल मिलता है। पहला यह है कि उच्च न्यायालय का आदेश अपील के अध्यधीन किया जाता है यदि सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधि में ऐसा उपबंध किया जाता है और यह आवश्यक रूप से अनुशासनिक अधिकारिता में पारित आदेश को इंगित करता है। दूसरे, शब्द यह हैं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश के साथ उसकी सेवा के नियमों के अनुसार व्यवहार करेगा और 'सौदा' शब्द केवल प्रशासनिक अधिकारिता नहीं बल्कि अनुशासनिक भी इंगित करता है।

14. अनुच्छेद 233 और 235 में दो अलग-अलग शक्तियों का उल्लेख है।पहला है व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी तैनाती और पदोन्नति की शक्ति और दूसरा है नियंत्रण की शक्ति।जिला न्यायाधीशों के मामले में, नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जानी है लेकिन जिला न्यायाधीश पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का है।हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि इस्तेमाल किया गया शब्द 'जिला न्यायालय' है क्योंकि शेष अनुच्छेद स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 'न्यायालय' शब्द का उपयोग न केवल उचित न्यायालय को बल्कि पीठासीन न्यायाधीश को भी इंगित करने के लिए किया गया है। अनुच्छेद 235 का दूसरा भाग उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो इस पद पर है। जिला न्यायाधीश के

अधीनस्थ न्यायिक सेवा के मामले में राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार नियुक्ति की जानी है, लेकिन नियुक्ति, पदोन्नति और छुट्टी की मंजूरी और न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है।निहित में अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार शामिल है।नियंत्रण निरर्थक है यदि उसके साथ अनुशासनात्मक शक्तियां न हों।यह आशा नहीं की जा सकती कि उच्च न्यायालय अनुशासनहीनता के प्रत्येक मामले में सरकार या राज्यपाल के पास जाएगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो और जिसके लिए बर्खास्तगी या हटाए जाने की सजा की आवश्यकता भी नहीं होगी।इन अनुच्छेदों में यह दर्शाया गया है कि उच्च न्यायालय में नियंत्रण निहित करके अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा गया था।यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 में आंशिक रूप से हासिल किया गया था, लेकिन इसे वर्तमान संविधान के प्रारूपकारों द्वारा पूरी तरह से लागू किया गया था।यह निर्माण संविधान के अनुच्छेद 50 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो इस प्रकार हैः

> "50. राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

17. [...] कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और केवल राज्यपाल ही उन्हें बर्खास्त या हटा सकता है। इससे उच्च न्यायालय का नियंत्रण प्रभावित नहीं होता है। इसका केवल यह अर्थ है कि उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या उन्हें खारिज या हटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार उच्च न्यायालय दो परन्तुकों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारिता का उपयोग

नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय यह विनिश्चय नहीं कर सकता कि किसी जिला न्यायाधीश को कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है या राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा अवसर देना समीचीन नहीं है। यह केवल राज्यपाल ही तय कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कतिपय शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा किया जाना है न कि उच्च न्यायालय द्वारा। परन्तुकों को अन्य निहितार्थों को जन्म दिए बिना उनका पूरा प्रभाव दिया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि यदि दो परन्तुकों के अधीन विशेष शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई मामला उठता है, उच्च न्यायालय को यह मामला राज्यपाल पर छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में हम संयोग से यह भी कह सकते हैं कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला न्यायाधीशों के खिलाफ जांच के संबंध में इन विशेष शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल इस मामले में उच्च न्यायालय की राय का हमेशा ध्यान रखेंगे।राज्य में जो भी जांच प्राधिकारी होगा, वह ऐसा ही होगा। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उच्च न्यायालय को जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी चाहिए।"

18. उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के प्रयोग के भीतर उच्च न्यायालय, सेवा की शर्तों के अधीन रहते हुए, बर्खास्तगी या हटाए जाने के अलावा, अपील के अधिकार के लिए, जो सेवा की शर्तों के अधीन है, और अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा यथा अपेक्षित कारण बताने का अवसर देने के लिए जांच कर सकता है, दंड अधिरोपित कर सकता है, जब तक कि उस खंड के परंतुक (ख) और (ग) के अधीन कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा ऐसा अवसर नहीं दिया जाता है। इन टिप्पणियों में यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया है कि राज्यपाल के पास, न कि उच्च न्यायालय के पास, क्षेत्राधिकार निहित है और वह सक्षम प्राधिकारी है। यह निर्णय करने के लिए कि क्या संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंडयह निर्णय संविधान के

अनुच्छेद 235 के संदर्भ में है और इसमें कहा गया है कि नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाए जाने का आदेश पारित करने और औपचारिक आदेश पारित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है, चाहे वह नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाए जाने का मामला हो।यह निर्पेंद्र नाथ बागची (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 17 के अंतिम भाग से स्पष्ट है जिसमें यह अभिलिखित है कि राज्यपाल इस मामले में हमेशा उच्च न्यायालय की राय का ध्यान रखेंगे।यह राज्य में जांच प्राधिकरण होगा।लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उच्च न्यायालय को जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी चाहिए।"

उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 233 से 236 और 'नियंत्रण' के संदर्भ में यह कानूनी स्थिति संदेह से परे है, जैसा कि अजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया थाः-

> "15. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया अगला तर्क यह था कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत उक्त शक्ति का उच्च न्यायालय द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता था। उपर्युक्त प्रस्तुति को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एक अधीनस्थ न्यायाधीश भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 और 236 के प्रावधानों के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के प्रावधान के अर्थ में एक न्यायाधीश है।
>
> 16. अनुच्छेद 233 स्पष्ट रूप से यह अधिकथित करता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रोन्नति ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त प्रावधान, अनुच्छेद 234 से 236 की तरह, अन्य बातों के साथ-साथ न्यायपालिका की कार्यपालिका से स्वतंत्रता

सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में शामिल किया गया है और यह राज्य के तीनों अंगों की शक्तियों के पृथक्करण की गुंजाइश से संबंधित है।

17. यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि पूर्वोक्त अनुच्छेदों [अनुच्छेद 233-236] के अधीन शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना है। भारतीय संविधान की योजना के तहत उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 234 से 236 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय को यह देखने की शक्ति भी दी गई है कि जिला न्यायपालिका के संचालन के लिए उचित व्यक्तियों के चयन द्वारा न्यायपालिका की उच्च परंपराओं और मानकों को बनाए रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा का सदस्य होने के योग्य नहीं पाया जाता है या यह पाया जाता है कि उसने कोई कदाचार किया है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सेवा से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत निर्धारित पूर्व शर्तों का पालन करते हुए इस तरह की बर्खास्तगी या हटाए जाने के लिए शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। यहां तक कि पदच्युति या पद से हटाए जाने या रैंक में कमी करने की सजा देने के लिए भी उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और ऐसी सजा की सिफारिश कर सकता है। केवल राज्यपाल ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 233-235 के तहत आने वाले व्यक्तियों पर इस तरह की सजा लगाने के लिए सक्षम हैं। इसी तरह, उच्च न्यायालय लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले किसी कारण से किसी जांच को समाप्त करने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और

> राज्यपाल को सिफारिश किए जाने पर वैध कारणों से जांच का ऐसा निष्पादन, उच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार ऐसे आदेश जारी करना राज्यपाल की सक्षमता के भीतर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करना राज्यपाल की सक्षमता के अन्तर्गत हैं ।"
>
> (जोर दिया गया)

19. हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि पूर्ण न्यायालय ने 13 अगस्त, 2015 की सिफारिश के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय जांच से न्यायिक अधिकारियों को मुक्त करने की सिफारिश की थी। हालांकि, यह मामला राज्य सरकार के पास लंबित है और हमें सूचित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित 11 सितंबर, 2015 के स्थगन आदेश के मद्देनजर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रारंभ में यह भी आग्रह किया गया था और तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (बी) के तहत बर्खास्तगी का आदेश सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है। हमें सूचित किया गया कि अन्य दो अधिकारी भी वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे। इसलिए, अधिकतम पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त और अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत शक्तियों का उपयोग करके सेवा से बर्खास्तगी का आदेश अपीलार्थियों-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है। बाद में, अपीलार्थियों-न्यायिक अधिकारियों के वकील ने इस तर्क पर जोर नहीं दिया क्योंकि मामला अभी भी राज्य प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है, और अंतिम आदेश पारित किया जाना अभी बाकी है। अनुमान के आधार पर से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, यह चुनौती उन रिट याचिकाओं की विषय-वस्तु भी नहीं थी, जिनमें आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और यह पूरी तरह से एक नए वाद हेतुक का गठन करेगा। तदनुसार, अपीलार्थियों के वकीलों-न्यायिक अधिकारियों ने आदेश को चुनौती देने का

अपना अधिकार सुरक्षित रखा है, यदि और जब भी यह पारित किया जाता है। पूर्वोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम कथित विवाद के गुण-दोष में नहीं जाएंगे और मुद्दे को खुला छोड़ देंगे। यह प्रतिवादियों, अर्थात् बिहार राज्य और उच्च न्यायालय के लिए भी समान रूप से खुला है कि वे इस विवाद की जांच करें।

20. उपर्युक्त को अभिलिखित करते हुए, अपीलें खारिज कर दी जाती हैं और स्थगन आदेश निरस्त कर दिया जाता है, यद्यपि हम स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यर्थियों को, खंड न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, विधि के अनुसार आगे बढ़ना होगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने तीन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। अर्थदण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति)

(संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

08 नवंबर, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।